

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, रुड़की

आवश्यक सूचना

- अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर OBC(NCL), 6 माह के अन्दर बना हुआ होना चाहिए अन्यथा पाल्य को अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का RTE के अंतर्गत लाभ लेने हेतु हाल का (LATEST) आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्राचार्य